प0 सं0–14/डी0एल0ए0 पूर्णिया (महानन्दा तटबंध)–192/2013– 2959 /रा0, पटना, दिनांक:– 17/12/2013

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अर्जन शाखा)
अधिघोषणा

संख्या.../पटना दिनांक.....

चुँकि बिहार के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि ग्राम –गोवागॉव, थाना –अमौर थाना न0 469 ,परगना कदवा , जिला –पूर्णिया सार्वजनिक प्रयोजनार्थ कोशी योजना अंतर्गत महानन्दा दायॉ तटबंध निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है। इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वाकित ग्राम गोवागॉव ,थाना नं0 469 के भीतर भूमि का टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप के 4.10 एकड़ के बराबर होता है, जिसका अंश खेसरा सं0 निम्नांकित है: 80,83,129,130,128,132,127,126,133,138,136,137, तथा जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

उत्तर	सीमा रेखा सिंघिया नाला ग्राम डुमरा
दक्षिण	सीमा ग्राम–काठौल
पूरब	अंश खेरारा सं0–80,83,128,127,126,138 एवं 137
पश्चिम–	अंश खेसरा सं0–129,130,132,133,138,136,137 एवं पूर्ण 135

भूमि या भूमि के किसी भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला,लोहा,पत्थर,स्लेट या अन्य खनिजों को खोदने की आवश्यकता नही है,किन्तु खानों और खनिजों के केवल वे भाग जिन्हे जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है उसके निर्माण के लिए खोदना /हटाना या उपयोग में लाना आवश्यक हो तो लिए जायेंगे ।

यह घोषणा अधिनियम,1894 की धारा–6 और अधिनियम 18,1885 की धारा 3 के खण्ड 1 के उपबन्धों की अधीन (यथा बिहार अधिनियम 11 सन् 1961 एवं भू संशोधन अधिनियम 1984 द्वारा संशोधित) उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिनका इससे संबंध हो ।

भूमि का नक्शा विशेष भू अर्जन पदाधिकारी,कोशी योजना,सहरसा के कार्यालय में देखा जा सकता हैं ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

विशेष भू अर्जन पदाधिकारी, कोशी योजना, सहरसा।	अपर समाहर्त्ता, पूर्णिया।	समाहर्त्ता पूर्णिया।	आयुक्त पुर्णिया।

सरकार के ~~उप~~ अवर सचिव

ज्ञापांक: 2959/पटना ,दिनांक:– 17/12/2013

प्रतिलिपि:– उप समाहर्त्ता प्रभारी,सामान्य प्रशाखा जिला गजट प्रकाशन शाखा, पूर्णिया को जिला के अगले अंक में प्रकाशित करने तथा इसकी दस अतिरिक्त प्रतियॉं विशेष भू अर्जन पदाधिकारी,कोशी योजना,सहरसा को यथाशीघ्र भेजने के लिए भेजी जाती हैं ।

(2)–निदेशक,सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,बिहार,पटना को दो दैनिक समाचार पत्रों में यथाशीघ्र प्रकाशित करने हेतु भेजी जाती हैं ।

(3)–निदेशक,भू अर्जन एवं पुनर्वास,जल संसाधन विभाग,बिहार,पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

सरकार के ~~उप~~ अवर सचिव,
बिहार,पटना ।